भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3943

गुरुवार, 06 अप्रैल, 2023/16 चैत्र, 1945 (शक)

देश में प्रवासी मजदूर

3943. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रवासी मजदूरों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों की संख्या अधिक है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कोविड-19 महामारी के बाद प्रवासी मजदूरों की स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गई हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना एक सतत् प्रक्रिया है और यह गतिशील है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देशभर में कुल 4.14 करोड़ लोगों ने काम और रोजगार के लिए प्रवासन किया है। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले मजदूरों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ग): सरकार ने व्यापार को प्रोत्साहित करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।.

नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान छूटे रोजगार की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए 01 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का शुभारम्भ किया गया था। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख 31.03.2022 थी। योजना के आरंभ होने से, दिनांक 11.03.2023 तक, योजना के अंतर्गत 60.3 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए जा चुके है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के रोजगार में व्यवधान को रोकने के लिए और कर्मचारियों और नियोक्ताओं के पूर्ण ईपीएफ तथा ईपीएस के लिए अंशदान का भुगतान (मासिक वेतन का कुल 24 प्रतिशत) करके 100 कर्मचारियों तक को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना (पीएमजीकेवाई) की शुरुआत की। सरकार ने दिनांक 20 जून, 2020 को बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 6 राज्यों के 116 चयनित जिलों में लौटे प्रवासी कामगारों और समान रूप से

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं सहित प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने हेतु 125 दिनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए) की शुरुआत की।

सरकार ने दिनांक 24.03.2020 से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) स्कीम के तहत बेरोजगार हुए बीमित व्यक्तियों (आईपी) को दिए जाने वाली राहत को कर्मचारी की प्रति दिन की औसत कमाई के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) स्कीम के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

सरकार प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी लागू कर रही है। कुछ प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार हैं;

(i) वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु होने पर जीवन और निःशक्तता कवर प्रदान किया जाता है।

(ii) वर्ष 2019 में शुरू की गई प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन योजना (पीएम-एसवाईएम) में मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

(iii) वर्ष 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में उन प्रवासी कामगारों को, जो अभाव और व्यवसायिक मानदंड के अनुसार पात्र लाभार्थियों के रूप में आते हैं, उन्हें द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य लाभ के लिए 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है।

(iv) पीएम-स्वनिधि योजना में, फेरीवालों को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

(v) प्रधानमंत्री आवास योजना में सभी पात्र लाभार्थियों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाता है।

मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए ई-श्रम पोर्टल भी विकसित किया है। प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) के साथ एकीकृत किया गया है। ईश्रम को प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएमएसवाईएम) के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी असंगठित कामगार योजना के तहत पेंशन लाभ के लिए नामांकन करने के लिए स्वयं को पंजीकृत कर सकता है।

* ******

<u>अनुबंध</u>

"देश में प्रवासी मजदूर" के संबंध में श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 06.04.2023 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3943 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

जनगणना-2011 के अनुसार काम और रोजगार के लिए प्रवास करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या (प्रवासी कामगार)		
क्र. सं.		व्यक्ति
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	52,129
2	**आंध्र प्रदेश**	**37,37,316**
3	अरुणाचल प्रदेश	1,19,244
4	असम	5,72,064
5	बिहार	7,06,557
6	चंडीगढ़	2,06,642
7	छत्तीसगढ	10,21,077
8	दादरा और नगर हवेली	63,779
9	दमन और दीव	73,782
10	गोवा	1,15,870
11	**गुजरात**	**30,41,779**
12	हरियाणा	13,33,644
13	हिमाचल प्रदेश	2,96,268
14	जम्मू और कश्मीर	1,22,587
15	झारखंड	8,24,259
16	**कर्नाटक**	**28,87,216**
17	केरल	7,13,934
18	लक्षद्वीप	6,135
19	मध्य प्रदेश	24,15,635
20	महाराष्ट्र	79,01,819
21	मणिपुर	22,750
22	मेघालय	52,797
23	मिजोरम	62,828
24	नागालैंड	1,10,779
25	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**	**20,29,489**
26	ओडिशा	8,51,363
27	पुदुचेरी	70,721
28	पंजाब	12,44,056
29	राजस्थान	17,09,602
30	सिक्किम	46,554
31	**तमिलनाडु**	**34,87,974**
32	त्रिपुरा	92,097
33	**उतार प्रदेश**	**31,56,125**
34	उत्तराखंड	6,17,094
35	पश्चिम बंगाल	16,56,952
	भारत	**4,14,22,917**

*****